

## प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

(8). हनुमानगढ़ विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान ( राज्य ) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि-

श्री गणेशराज बंसल, पता:- आई - 273 सिविल लाईन, वार्ड न0 1 हनुमानगढ़ जं. 335512 जो निर्दलीय (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान हनुमानगढ़  
दिनांक 03 दिसम्बर 2023



(दिखा)  
रिजिस्ट्रीकृत अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़)  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (8) हनुमानगढ़  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (8) हनुमानगढ़

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from (8) **Hanumangarh** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri **GANESHRAJ BANSAL**, Address- **I-273 CIVIL LINE, WARD NO. 1 HANUMANGARH JN, 335512** sponsored by **INDEPENDENT** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place **HANUMANGARH**  
Date **03 December 2023**



*@wip*  
(Divya)  
Returning Officer  
(Sub Divisional Officer And  
Sub Divisional Magistrate, Hanumangarh)  
Assembly Constituency (8) Hanumangarh